



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 पौष 1942 (श0)
(सं0 पटना 59) पटना, मंगलवार, 19 जनवरी 2021

I/E 08@vkjki&01&13@2020&485@lk0i0
l'ekU; i:'kklu foHkkx

ldYi

11 tuojh 2021

श्री विनोद कुमार ठाकुर, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-567/2011 तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, पटना के विरुद्ध नीलाम पत्र वादों में वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के कारण मामला लंबित होने एवं प्राथमिकी दर्ज वाद को विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कराने में कोई अभिरुचि नहीं दिखाने एवं कार्यों में लापरवाही/शिथिलता बरतने संबंधी आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2569 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया।

2- उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 7756 दिनांक 04.09.2020 द्वारा श्री ठाकुर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री ठाकुर का स्पष्टीकरण (दिनांक 29.09.2020) प्राप्त हुआ। जिसमें उनके द्वारा लगाये गये आरोपों को गलत एवं निराधार बताते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया। परन्तु उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में कोई साक्ष्य/अभिलेख संलग्न नहीं किया गया।

3- प्रस्तुत मामला माननीय उच्च न्यायालय से पारित स्थगन आदेश में धारा-80 के तहत प्राप्त करायी गयी नोटिस एवं मिलरों से संबंधित कई वादों में हथालन राशि सामंजस्य के मामले को अविलम्ब निष्पादित करने तथा जिस मामले में न्यायालय द्वारा मिलरों को जमानत मिल चुकी है, उस मामले में ट्रायल शुरू कर द्रुतगति से कार्रवाई प्रारम्भ करने से संबंधित है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा आरोपों की वृहद जांच की आवश्यकता पायी गयी।

4- अतएव यह निर्णय लिया गया है कि श्री विनोद कुमार ठाकुर, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-567/2011 तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, पटना के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(2) के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे।

5- श्री ठाकुर से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

vkn'k& vkn'k fn;k tkrk gj fd bl ldyi dh ifr fcgkj jkt i= d vxy v l k/kkj.k vd
e i:dkf'kr fd;k tk; rFkk bl dh ifr lHkh lcf/kr dk Hkt nh tk;A
fcgkj&jkT;iky di vkn'k l]
ek0 fl jkt lhu v l kjh]
l jdkj di voj l fpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 59-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>